राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राज. जयपुर

क्रमांकः—नर्सिंग / पैरामेडिकल / सीधी भर्ती—2013 / 2015 / 390 दिनांकः 18.9.15

—:आदेश:—

निदेशालय द्वारा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के पदों हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 26.02.2013 एवं 01.07.2013 के क्रम में पदस्थापित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण कराये जाने से पूर्व विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तो एवं समय समय पर लिये गये नितिगत निर्णयों के अनुसार पात्रता की जांच एवं अभ्यर्थियो द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का मूल दस्तावेजों से मिलान किये जाने हेतु निम्नांकित अधिकारियों की समिति का गठन किया जाता है :—

1.	जिला कलक्टर के प्रतिनिधि (प्रतिनिधि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होंगे).	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अथवा उनके प्रतिनिधि।	सदस्य
3.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य सचिव
4.	जिला समाज कल्याण अधिकारी।	सदस्य

उक्त समिति द्वारा अभ्यर्थी का जिस जाति वर्ग / उपवर्ग में चयन हुआ है उस वर्ग के कट ऑफ प्रतिशत तक अथवा कट ऑफ से अधिक होने पर ही कार्यग्रहण कराया जायेगा। अभ्यर्थी के जाति वर्ग में कट ऑफ से नीचे उस वर्ग के अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नही कराया जायेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिले के लिये आवंटित समस्त अभ्यर्थियों का उक्त समिति से 10 दिवस में परीक्षण / जांच करवाकर कार्यग्रहण करवाना सुनिश्चित करेंगे। यद्यपि विज्ञप्ति में समस्त शर्तो का उल्लेख किया गया है फिर भी विभाग द्वारा समय समय पर लिये गये नितिगत निर्णय एवं आवश्यक दिशा निर्देश (प्रति संलग्न) के आधार पर दस्तावेजों की जांच करें। यदि किसी बिन्दू विशेष पर मार्गदर्शन आवश्यक हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें।

(डॉ0 बी0आर0 मीणा)
निदेशक(जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर
17/9/2015

क्रमांकः—नर्सिंग / पैरामेडिकल / सीधी भर्ती—2013 / 2015 / 390 दिनांकः 18.9.15
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजि सचिव माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
3. निजि सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला कलेक्टर।
5. उप शासन सचिव, चिकित्सा (ग्रुप—3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक (जन स्वास्थ्य), मुख्यालय।
7. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
8. समस्त सीईओ जिला परिषद।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कॉन्सिल, जयपुर।
12. सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय।
13. आदेश / निजी पत्रावली।

(डॉ0 बी0आर0 मीणा)
निदेशक(जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर
17/9/2015

System 1-Newer Data-Nurse2Order

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–नर्सिग/पैरामेडिकल/सीधी भर्ती–2013/2015/391 दिनांकः 18.9.15

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

अभ्यर्थियो को कार्यग्रहण कराये जाने से पूर्व उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो की जांच के सम्बन्ध में समान्य दिशा निर्देश :–

विभाग द्वारा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के पदों हेतु जारी विज्ञप्ति के सन्दर्भ में चयनित अभ्यर्थियों को सम्बन्धित अधिकारियों के अधीन पदस्थापन हेतु भिजवाया गया है। इन अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण कराये जाने से पूर्व विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तो, प्रचलित नियमों एवं अन्य तथ्यों के साथ अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों की जांच के सम्बन्ध में निम्न निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जावें।

1. अभ्यर्थी का जिस जाति वर्ग (ओबीसी/एसबीसी/एससी/एसटी/एससी टीएसपी/एसटी टीएसपी/सहरिया) में चयन हुआ है उसके संबंध में कार्यग्रहण तिथी को वैद्य मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं उसके सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावे।
2. अभ्यर्थी का चयन ओबीसी/एसबीसी वर्ग में होने पर कार्यग्रहण तिथि को नवीनतम वैद्य जाति प्रमाण पत्र (नॉन किमीलेयर) प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण करावे।
3. आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों द्वारा जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने पर ही कार्यग्रहण करावे, पति के नाम से जारी प्रमाण पत्र अमान्य है।
4. शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर एवं सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावे।
5. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित अंको के आधार पर मेरिट में अंक उल्लेखित किये गये है यदि अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत मूल अंकतालिकाओं के अंको में भिन्नता हो तो कार्यग्रहण नही कराया जावे।
6. राज्य एवं राज्य के बाहर के शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अध्याधीन कार्यग्रहण कराये तथा संबंधित संस्था से सत्यापन हो जाने के पश्चात ही प्रार्थी के मूल दस्तावेज लौटावे।
7. विज्ञप्ति दिनांक 26.2.2013 एवं 01.07.2013 में उल्लेखित आयु सीमा न्यूनतम, अधिकतम तथा वर्ग विशेष में शिथिलता पश्चात विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित आयु सीमा में होने पर ही कार्यग्रहण कराया जावे।
8. राजस्थान नर्सिंग कौसिल/राजस्थान फार्मेसी कौंसिल का कार्यग्रहण तिथि को नवीनीकृत रजिस्ट्रेशन होने पर ही कार्यग्रहण कराया जावेगा।
9. विधवा, विकलांग के प्रमाण पत्र एवं विवाह विच्छिन्न (Divorced) अभ्यर्थी को विज्ञप्ति के अनुसार इस संबंध में सक्षम स्तर का प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही नियुक्ति देय होगी।
10. सलंग्न शपथ पत्र 10/– रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पत्र पर नोटेरी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत कराना होगा।
11. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अंक सुधार हेतु पुनः परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तो उसे अंक सुधार का लाभ दिया जावें। इसके विपरीत यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक विषयों में अंक सुधार हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुआ है और उसके किसी विषय विशेष में अंको में वृद्धि के स्थान पर अंक कम हो जाते है और अन्य विषयों के अंको में वृद्धि होती है तो अंक सुधार के पश्चात जारी अंक तालिका के प्राप्तांको को ही आधार माना जायेगा। उसके चाहे किसी विषय में अंक कम हुये हो अथवा वृद्धि हुई हो।
12. दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की कांट–छांट/कूटरचित हो तो तत्काल निदेशालय को अवगत करावें एवं कार्यग्रहण नही करावें।

उपरोक्त दिये निर्देश केवल सामान्य प्रकृति के है इनके अतिरिक्त प्रचलित नियमों की पालना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 बी.आर.मीणा)
निदेशक(जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

System 1-Newer Data-Nurse2 recruitment Letter & Order 18.09.15

(शपथ–पत्र 10/–के स्टाम्प पेपर)

1.(विवाह पंजीयन के संबंध में शपथ पत्र का प्रारूप)

मै ....पत्नी श्री ....निवासी .... शपथ पूर्वक घोषणा करती हूं कि मेरा विवाह 22.05.2006 से पूर्व दिनांक .... को श्री .... के साथ हुआ था। उस समय विवाह पंजीयन अनिवार्य नही होने के कारण मेरे द्वारा विवाह पंजीयन नही कराया।

शपथग्रहिता

2.(धुम्रपान एवं नशा नही करने के संबंध में शपथ पत्र का प्रारूप)

मैं ....पिता/पत्नी श्री ....निवासी ....शपथ पूर्वक घोषणा करती हूं कि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का नशा एवं धुम्रपान न तो करती हूं एव ना ही भविष्य में किया जावेगा।

शपथग्रहिता

3.(पुर्नविवाह के संबंध में शपथ पत्र का प्रारूप)

मै ....पत्नी श्री ....निवासी .... शपथ पूर्वक घोषणा करती हूं कि मेरा चयन तलाकशुदा/विधवा वर्ग में किया गया है। मेरे द्वारा आज दिनांक .... तक पुर्नविवाह नही किया गया है।

शपथग्रहिता

(शपथ–पत्र 10/–के स्टाम्प पेपर)

4.(संतान संबंधि के संबंध में शपथ पत्र का प्रारूप)

मै ....पत्नी श्री ....निवासी ....
शपथ पूर्वक घोषणा करती हूं कि दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात मेरे तीसरी संतान नही हुई हैं।

शपथग्रहिता

5.(दस्तावेज सही होने के संबंध में शपथ पत्र का प्रारूप)

मै ....पत्नी श्री ....निवासी ....
शपथ पूर्वक घोषणा करती हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी दस्तावेंज सही है। यदि कोई भी दस्तावेज फर्जी/कूटरचित अथवा परिवर्तित पाया जाता है तो उसके लिये मैं स्वयं उत्तरदायी हूं। एवं विभाग मेरे विरूद्व न्यायायिक कार्यवाही किये जाने के लिये स्वतत्रं है।

शपथग्रहिता